

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी-दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :- 64/2023(पुरानी-81/2022)

प्रविष्टि दिनांक:- 27.10.2023(पुरानी-26.12.2022)

निर्णय दिनांक :- 08.05.2024

:-उनवान:-

1. रामकरण पुत्र सुखदेव जाति गुजर निवासी अर्जुनपुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी राजस्थान
-अपीलान्ट

बनाम

2. नायब तहसीलदार, बान्दनवाड़ा, तह0 भिनाय जिला केकड़ी राजस्थान

-रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरुद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा, दिनांक 20.10.2022 प्रकरण सं.-19/2022 धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :

- श्री सांवरलाल चौधरी एवं केसरलाल चौधरी अभिभाषक अपीलान्ट्स
- नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा रेस्पोंडेंट

:-निर्णय:-

दिनांक 08.05.2024

- अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा ने अपने आदेश दिनांक 20.10.2022 प्रकरण सं. 19/2022 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 666 रकबा 29.21 है0 मे से 5.60 है0 पर किस्म गैर मुअकिन चट्टान वाले ग्राम अर्जुनपुरा पर अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से वेदखल कर अनाधिकृत रूप से बाड़ लगाकर कब्जा किये जाने के कारण नीलामी व वार्षिक लगान की 50 गुणा से 420 रूपये की शास्ति की जाकर दण्डित किया है। भूमि से वेदखल कर कब्जा सरकार लेने हेतु आदेश जारी किया। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।
- अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा ने अपने आदेश दिनांक 20.10.2022 को ही निर्णित कर दिया जबकि उनके समक्ष दिनांक 20.10.2022 को प्रकरण में किये जाने वाली कार्यवाही को स्थगित करने के लिए एक प्रार्थना पत्र धारा 10 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र को बिना रिकॉर्ड पर लिये ही अपीलान्ट के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट को अतिक्रमण मानकर उक्त अतिक्रमण को हटाकर वेदखल कर कब्जा सरकार लेने और लगान राशि शास्ति 180/- रूपये कायम किया जाकर वसूलने के आदेश जारी किया। नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा का आदेश दिनांक 20.10.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट यह अपील निम्न ठोस आधारों पर प्रस्तुत की :-

- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय नियम एवं रिकार्ड के प्रतिकूल होने से काबिज निरस्त किये जाने योग्य है।
- यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट को साक्ष्य व सबूत व जवाबदेही का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया केवल मात्र उपस्थिति के दिन पर ही

(दिनेश धाकड़)

अति. जिला कलेक्टर, केकड़ी

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, केकड़ी(राज0)
पीढासीन अभिकरण :- श्री दिनेश धाकड़(आर ए एस)
पुन -64 / 2023
अपील अन्वयित धारा 75 एल आर एच 1956
उपनाम :- समकरण बनाम नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा

- पटवार हल्का पडांगा की मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त का अतिक्रमण वावत बिना जॉच रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित कर दिया जो कि विधि द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप नहीं होने और अपीलान्त को बिना विधिक सुनवाई का अवसर प्रदान किये जो एकपक्षीय आदेश पारित किया है जो कि अधिनस्थ न्यायालयों का खारिज होने योग्य है।
3. यह कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्त के द्वारा यह स्पष्ट बता दिया गया कि जिस भूमि पर अपीलान्त का कब्जा पिछले करीबन 25-30 वर्षों से काश्त इत्यादि कर उपयोग उपभोग की भूमि है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय को मौके की वास्तविक स्थिति अपीलान्त की कब्जा भूमि के वाकत मौका रिपोर्ट या पुन करके मगवायी जानी आवश्यक व न्यायसंगत थी जिन तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये पटवारी की रिपोर्ट पर जेर अपील आदेश पारित किया जो कि काबिल निरस्तनीय है।
 4. यह कि अपीलान्त का जिस भूमि पर कब्जा व उपयोग उपभोग है वह अपीलान्त का पिछले करीबन 25-30 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है और उक्त आराजी पर अपीलान्त द्वारा पेड़-पौधे इत्यादि लगाकर के उनको पाला-पोषा है। अपीलान्त द्वारा उक्त आराजी पर वर्षों पुराना कब्जा काश्त है और उक्त आराजी वाकत एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी मिनाय के समक्ष विचाराधीन है जिनमें नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा व पटवार हल्का पडांगा पक्षकार है इसलिये अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 10 संपडित धारा 151 सी.पी. सी. को अभिर्णित रख दिया और मात्र कचारों के आधार पर अपीलान्त को अतिक्रमी मान लिया जबकि अपीलान्त व उसके परिवार के पास उक्त भूमि के अलगवा अन्य कोई भूमि भी नहीं है। अपीलान्त भूमिहिन गरीब ग्रामीण परिवेश का काश्तकार है जो अपने परिवार का भरण पोषण करता चला आ रहा है। जिससे अपीलान्त के द्वारा संवत् 2079 में अतिक्रमण किया जाना किसी प्रकार से साबित नहीं था और उक्त खसरे पर तो वर्षों पुराना कब्जा काश्त है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने विधि व तथ्यों की शूल करते हुये जेर अपील आदेश पारित किया जो निरस्तनीय है।
 5. यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि पटवारी पटवार हल्का पडांगा ने अपीलान्त के द्वारा संवत् 2079 से अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है जबकि उक्त आरोप अपने आप में असत्य व मनगडन्त प्रतीत होता है क्योंकि अपीलान्त का कब्जा काश्त पुरतनी है जो कि काफी पुराना है। इसलिये जेर अपील आदेश काबिल निरस्तनीय है।
 6. यह कि अन्य उजात वरवक्त बहस जुवानी अर्ज किये जायेंगे।
 7. यह कि अपील पूर्ण कॉर्ट फीस पर श्रीमान के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत है।
 8. यह कि अपील अन्दर मियाद एवं माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से प्रस्तुत है।

अतः अपीलान्त द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जावे एवं नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा को निर्णय दिनांक 20.10.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

3. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्वयित धारा 81 भू राजस्व अधिनियम 1956 वाकत स्थगन एवं धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि
1. यह कि यदि अधिनस्थ न्यायालय को पालना को स्थापित नहीं किया गया तो नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा द्वारा प्रार्थी की वर्षों पुराने कब्जे काश्त से बेदखल कर देंगे। जिससे प्रार्थी व

(दिनेश धाकड़)

अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

उसके परिवार के भरण पोषण का जरिया समाप्त हो जायेगा जिससे अपीलान्त को अपूरणीय क्षति कारित होगी जिससे मूल्यों में नही आवन जा सकेगा।

2. यह कि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सतुलन अपीलान्त के हक में है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि ताफैसला अपील नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा का निर्णय दिनांक 20.10.2022 की पालना को स्थगित पिरत आवे एंव मौकें व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे अन्य कोई अनुतोष माननीय न्यायालय उचित समझे प्रदान किया जावे।

1. यह कि प्रार्थी एक अनपढ़ ग्रामीण काश्तकार है इनको कानून की बारीक जानकारियां नहीं है। इसलिए अपील में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई एक सद्भाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील को अन्दर मयाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित करने का आदेश प्रदान करावे।

अपीलांत द्वारा अपील प्रार्थना पत्र न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। राज्य सरकार के आदेश से नामांकित जिला केकड़ी में गठन उपरान्त यह पत्रावली स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। तलवी रेसमोडेण्ट जरिये सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई। प्रकरण में अधिभाषक अपीलान्त एव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में हम सर्वप्रथम मियाद आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा देरी का कारण जो बताया गया है उसको न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त आधारों पर तथा न्याय हित में मियाद कण्डोन कर प्रार्थना पत्र श्रवणार्थ ग्रहण किया जाता है।

नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा की पत्रावली सं. 19/2022 के अवलोकन से जाहिर आया कि अपीलाण्ट पर नोटिस की तामिल हुयी है। न्यायालय की आदेशिका पर अपीलाण्ट अधिवक्ता के हस्ताक्षर है। अपीलाण्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेश किया जाना जाहिर आया है तथा पत्रावली में अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा 20.10.2022 को किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र पेश किया जाना नहीं पाया गया है। अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमित भूमि किस्म गैर मुगकिन चट्टान राजकीय भूमि के रूप में रिकॉर्डेड दर्ज है। अतः अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2022 प्रकरण सं. 19/2022 में दखल दिया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी द्वारा पेश अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2024 को निरवकाश जाकर सारे इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैशल में शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तागोल तासिल रफतर ले।

(दिनेश भाकस)
अधीनस्थ अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
केकड़ी